न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक · /2014 निगरानी R 2504-III/14

1. पुरूषोतम तनय काशीप्रसाद रूसिया
2. अवध बिहारी तनय काशीप्रसाद रूसिया
   निवासी ग्राम हरपालपुर तहसील –नौगाव
   जिला– छतरपुर म0प्र0 —— आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. सुरेन्द्र कुमार तनय हरीशंकर रूसिया
   निवासी ग्राम– हरपालपुर तहसील– नोगांव
   जिला– छतरपुर ——— अनावेदकगण

अनुविभागीय अधिकारी नोगांव जिला– छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–89 अ–13 /2010–11 में पारित आदेश दिनांक 15–07–2014 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:–

1– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का विवादित आदेश एवं कार्यवाही अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश–1 नियम–10 को निरस्त करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है.

3– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक–2 के विरूद्ध भूमि सर्वे क्रमांक–4792 एवं 4793 का बिना अनुमति व्यपवर्तन एवं उसे विकसित करने का आरोप लगाते हुये प्रकरण पंजीबद्ध किया है आवेदकों ने उक्त कार्यवाहीं में उन व्यक्तियों को पक्षकार बनाने के आवेदन दिया था जिनकी जानकारी में तथा जिनकी अनुमति से व्यपवर्तन एवं विकास कार्य किये गये थे ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है.

4– यह कि, अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलिखित भूमि स्वामीयों को कारण बताओं सूचना पत्र दिया है जो तहसीलदार के प्रतिवेदन पर आधारीत है इसका प्रतिवाद आवेदकों द्वारा किया जा रहा है आवेदकों ने स्पष्टीकरण में बताया था कि समस्त कार्यवाहीं राजस्व कर्मचारियों एवं नायब तहसीलदार की जानकारी में की गयी थी उन्हें

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2504-तीन/2014 जिला छतरपुर पुरूषोत्तम विरूद्ध म.प्र.शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं । शासकीय अभिभाषक श्री योगेश पाराशर उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के प्रकरण क्रमांक 01/अ-89अ-13/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 15-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-08-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

31.12.18

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य